

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 40/2019

निर्णय दिनांक – 09.05.2019

नारायण सिंह पिता रामसिंह जाति राजपुत उम्र 70 साल निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. मंगीलाल पिता छोगालाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी रामसिंह की भागल तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. भुरा पिता भैरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी रामसिंह की भागल तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. रघुनाथ पिता भैरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी रामसिंह की भागल तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
4. भोपालसिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी रामसिंह की भागल तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
5. गंगासिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी रामसिंह की भागल तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बिनोता हल्का पटवार क्षेत्र बिनोता की खाता सं. नया 308 खसरा सं. 1821 रकबा 4.1100 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा बिनोता हल्का पटवार क्षेत्र बिनोता की खाता सं. नया 308 खसरा सं. 1821 रकबा 4.1100 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 09.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

